छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग – एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा तृतीय सत्र अंक- 01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024
(आषाढ़ 31, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **''वन्दे मातरम्''** एवं राज्यगीत **''अरपा पइरी के धार''** का गायन किया गया ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री मकसूदन लाल चन्द्राकर, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव, श्री अमीन साय, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री अग्नि चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं श्री अन्तुराम कश्यप, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेश बघेल सदस्य, श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री, श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री कवासी लखमा, उमेश पटेल, एवं लालजीत सिंह राठिया, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.36 बजे स्थगित की जाकर 11.45 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

3. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में कोरबा संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद माननीया श्रीमती ज्योत्सना महंत एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री टी.एस. सिंहदेव जी उपस्थित हैं । सदन उनका स्वागत करता है ।

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 एवं 03 (कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित एवं 103 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2024 सत्र का दिनांक 29 फरवरी एवं 1 मार्च, 2024 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

6. फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267 ''क'' के अधीन फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 ''क'' के अधीन फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री विक्रम उसेण्डी

(2) श्री धर्मजीत सिंह
(3) सुश्री लता उसेण्डी
(4) श्री लखेश्वर बघेल
(5) श्री दलेश्वर साहू
(6) श्री प्रबोध मिंज

10. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

1.	**वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
(1)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन एवं अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी वि नियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण	**3 घण्टे**
2.	**शासकीय विधि विषयक कार्य**	
(1)	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024	**45 मिनट**
(2)	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	**45 मिनट**

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.पृच्छा

(1) डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने सदन के नेता को मंत्रिमण्डल के सदस्यों सहित अयोध्या में रामलला जी के दर्शन करके आने पर धन्यवाद देते हुए यह कथन किया कि सदन के सभी साथियों की इच्छा थी कि आपके साथ वे भी रामलला जी का दर्शन करने अयोध्या जाते । अत: सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि माननीय सदस्यों को रामलला जी के दर्शन कराने अगली बार प्लेन से अयोध्या लेकर जाएं। साथ ही उल्लेख किया कि अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक श्रीराम सर्किट बनाने का जो निर्णय लिया गया है, उस सर्किट में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, अत: उसमें छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ा जाये।

(2) शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा जिला बलौदाबाजार में हिंसा एवं आगजनी की घटना के संबंध में चर्चा कराये जाने संबंधी उल्लेख किये जाने पर माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि उक्त घटना के संबंध में माननीय गृह मंत्री द्वारा न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई है। न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है, आयोग अपना काम कर रहा है। अत: स्थगन पर चर्चा करने से क्या न्यायिक आयोग के कार्य प्रभावित होंगे या नहीं होंगे ? उसको न्यायिक कार्य माना जाये या नहीं माना जाये और यदि न्यायिक जांच चल रही है तो क्या स्थगन पर चर्चा हो सकती है ?

इस संबंध में डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने विचार व्यक्त किये।

माननीय अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि मैं अभी स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों के विचार सुन रहा हूं । मेरे द्वारा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर निर्णय नहीं लिया गया है । इसलिए आपकी आपत्ति अमान्य है ।

इस संबंध में सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, भूपेश बघेल, अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, रामकुमार यादव सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये ।

(3) सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री विक्रम मण्डावी, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री कवासी लखमा, द्वाारिकाधीश यादव, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, रामकुमार यादव, दिलीप लहरिया सदस्य एवं डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष द्वारा जिला बलौदाबाजार में हिंसा एवं आगजनी की घटना संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

12.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में पुन:श्चय विचार रखा था कि जो प्रकरण माननीय न्यायिक आयोग के समक्ष विचाराधीन है, क्या उस पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की जा सकती है ? तद्नुसार मैंने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का अवलोकन किया। मैं सदन में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ग्राह्यता, अग्राह्यता पर विचार मात्र सुन रहा हूं, मैंने स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं किया है, मैं इसका निर्णय बाद में लूंगा। मैंने सभी सदस्यों की बात सुनी, मेरा अनुरोध है, कृपया, सदस्य अपनी बात कहते समय न्यायिक आयोग द्वारा जिन बिन्दुओं को शामिल किया गया है, उस विषय के अलावा अपनी बात सदन में रखें।

13.वक्तव्य

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर वक्तव्य दिया ।

पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि बलौदाबाजार में हिंसा एवं आगजनी की घटना के विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता एवं अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखी। शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनमति नहीं देता ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(1.23 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुन: जिला बलौदाबाजार में हिंसा एवं आगजनी की घटना संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

14. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री विक्रम मंडावी, फूल सिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में लगातार नारे लगाये गये।)

15. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती भावना बोहरा, श्री अजय चन्द्राकर सदस्य ने जिला-कबीरधाम, थाना-पिपरिया, ग्राम-बिरकोना अंतर्गत एक किसान की हत्या होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

16. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार अनुसार माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

17. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024 की तिथि निर्धारित की ।

अपराह्न 3.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024 (श्रावण 1, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा